



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227985
CG-DL-E-29062021-227985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2428]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943

No. 2428]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

का.आ. 2619(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, “आंध्र प्रदेश” शीर्ष के अधीन, क्रम संख्या 3च(ख) के सामने स्तंभ 2, 3 और 4 में की गई प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
	“डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन	एम.डी.(होम्यो.) (मेडी.)	नवम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक - (यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो जेएसपीएस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।)
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - पेडियाट्रिक्स	एम.डी.(होम्यो.) (पेडि.)	नवम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक - (यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो जेएसपीएस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।)
	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - होम्योपैथिक फार्मसी	एम.डी.(होम्यो.) (होम्यो.फार्मे.)	नवम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक - (यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो जेएसपीएस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।)

डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी - साईकेट्री	एम.डी.(होम्यो.) (साई.)	नवम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक - (यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो जेएसपीएस राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद से उक्त अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।)
---	---------------------------	--

[फा .सं. आर-14011/10/2019-ईपी-II]

पी. एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी— होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का प्रथम बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2011(अ), तारीख 23, मई, 2021 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2021

S.O. 2619(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said Second Schedule, under the heading “ANDHRA PRADESH”, against serial number 3F(b), after the entries in columns 2, 3 and 4, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
	“Doctor of Medicine in Homoeopathy- Practice of Medicine	M.D.(Hom.) (Med)	From November, 2018 to December, 2018- (if granted to students who have passed out during this period from JSPS Govt. Homoeopathic Medical College, Hyderabad)
	Doctor of Medicine in Homoeopathy- Paediatrics	M.D.(Hom.) (Paed)	From November, 2018 to December, 2018- (if granted to students who have passed out during this period from JSPS Govt. Homoeopathic Medical College, Hyderabad)
	Doctor of Medicine in Homoeopathy- Homoeopathy Pharmacy	M.D.(Hom.) (Homoeopathic Pharmacy)	From November, 2018 to December, 2018- (if granted to students who have passed out during this period from JSPS Govt. Homoeopathic Medical College, Hyderabad)
	Doctor of Medicine in Homoeopathy- Psychiatry	M.D.(Hom.) (Pysch.)	From November, 2018 to December, 2018- (if granted to students who have passed out during this period from JSPS Govt. Homoeopathic Medical College, Hyderabad)

[F. No. R-14011/10/2019-EP-II]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Foot note:— The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* notification number S.O. 2011 (E), dated the 23rd May, 2021.